




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

भारत सरकार
श्री 0पी0 प्रभासी सुजीत राय

बनाम... तरणी दास वर्गैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एम...59...../2017 धारा-107 द0प्र0सं० थाना प्रभासी <u>गिनापुत्र</u> <u>(राँची)</u> के अप्राथमिकी सं०-21/18... दिनांक-7-5-18... परस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>सिक्की विधान</u> <u>सभा उप-चुनाव को लेकल शै श्री श्री 0पी0 दैनिकी</u> <u>सं० 15/18 दिनांक 7/5/18</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द0प्र0सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 25-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center"> <u>अपिलेखा उपस्थापित / द्वितीय पक्ष</u> <u>क्रमांक 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12</u> <u>13 उपस्थित अन्य शर्मा अपस्थित दिनांक</u> <u>28-05-18 की शर्त।</u> </p> <p align="right">  25/5/18 </p>	

25-05-18

25

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
------	---------------------------------

30-11-18

आभिलेखन इतरचापित्त। विपक्षी हाउसलिनत
विधाकसमा उप इगाव शक्तिपूर्परनय खै सप्यम
है गरी हो अतः वार में आभिलेखन की
कारवाही बन्द की जाती है।


30/11/18